न्यायालयः– उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 104/2022

शीर्षक

बहादुर सिंह पुत्र फूलसिंह जाति राजपूत निवासी हनुतपुरा उर्फ रूण्डी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुरराज.

अप्रार्थी

उपस्थितः– 1. सुरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती संशोधन नक्शा तरमीम अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः– 3.2.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है यह कि हाल आराजी खाता संख्यां 216 के खसरा नम्बर 4260/1.56 है. किता 1 रकबा 1.56 है. व खाता संख्या 182 के खसरा नम्बर 4261/4349 किता 1 रकबा 1.59 है. वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी पटवार हल्का खोरा लाडखानी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. में स्थित है,जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जो साबिक खसरा नम्बर 2624 से उक्त खसरा नम्बर 4260 व 4261/4349 हाल भू–प्रबन्ध कार्यवाही में कायम किये गये है तथा साबिक खसरा नम्बर 2624 एक चक था जिसके मध्य में किसी भी प्रकार की डॉट डॉट लाइन अंकित नहीं थी जिसके सबूत के तौर पर नक्शा साबिका सन 1942–43 सम्वत 1999 प्रस्तुत किया है जबकि हाल सैटलमैन्ट विभाग द्वारा सन 1980 से 1984 के मध्य हाल नक्शा तरमीम करते समय खसरा नम्बर 4261 की पूर्वी दिशा की ओर तथा खसरा नम्बर 4260 की पश्चिमी सीमा की ओर दोनो खसरा नम्बर की सीमा कायम करते समय एक लाईन की बजाय दो बराबर–बराबर डॉट डॉट लाईन अंकित करदी जो अन्य खसरा नम्बर का भाग कभी नहीं रहा है।

यह कि खसरा नम्बर 4287/0.09 किता 1 रकबा 0.09 है. प्रार्थी की खातेदारी भूमि के दक्षिण में खसरा नम्बर 4286 की पूर्वी सीमा पर खसरा नम्बर 4287 था जो नाली नुमा रकबा होकर खसरा नम्बर 4286 की उतरी सीमा पर बन्द होता था तथा खसरा नम्बर 4269 की पश्चिमी सीमा के सहारे डॉट डॉट आधार सम्वत 2036–37 में साबिक के विपरित अंकित किया है जो काबिले दुरूस्ती है एवं खसरा नम्बर 4270 की उतरी सीमा के लगता खसरा नम्बर 4263 स्थित है जिसके उतर में प्रार्थी का खसरा नम्बर 4261/4349 है जिसकी पूर्वी सीमा पर खसरा नम्बर 4287/0.09 है. खसरा नम्बर 4261/4349 व 4260 के बीच में उतर दिशा की ओर लम्बाई में हाल नक्शा तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने संहवन से लिपिकिय त्रुटि के कारण तरमीम कर दिया है जो साबिक के विपरित बिना किसी सक्षम प्राधिकारियों के किया है जो काबिले दुरूस्ती है एवं हाल खसरा नम्बर 4287/0.09 है. की सीमा साबिक नक्शा में हाल खसरा नम्बर 4286 की उतरी सीमा पर ही पूर्ण हो चूका है जबकि हाल सैगरीकेशन कार्यवाही में राजस्व कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 4287 को खसरा नम्बर 4269, 4270, 4263, व प्रार्थी के खसरा नम्बर 4261/4349 व 4260 के बीच से आगे तक खसरा नम्बर 4240 तक कायम कर नवीन तरमीम अंकित कर दी जो मौका वाक्यात व कानून के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जिसकी दुरूस्ती करवाने हेतू प्रार्थी ने अप्रार्थी को दिनांक 25.08.2022 को समस्त कागजात पेश कर नक्शा दुरूस्ती हेतू निवेदन

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

किया तो उन्होने सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में चाराजोही करने को कहा जबकि नक्शे में दुरूस्ती नहीं की जिस कारण माननीय अदालत हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ एवं उक्त प्रकरण हाल नक्शा में साबिक के विपरीत तरमीम की है जो लिपिकिय त्रुटि की श्रेणी में आने से उक्त प्रार्थना पत्र दफा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की तारीफ में आता है अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 4260 व 4261/4349 वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूण्डी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. के मध्य व खसरा नम्बर 4260 की पश्चिमी सीमा व खसरा नम्बर 4261/4349 की पूर्वी सीमा पर हाल खसरा नम्बर 4287 की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर साबिक नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्रतिवादी स्वयं उपस्थित आये तथा दिनांक 12.01.2023 को सरकार की ओर से जँवाब प्रस्तुत किया कि संलग्न जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या 216 एवं 182 के खसरा नम्बर 4260 रकबा 1.56 है. किस्म बा.3 एवं खसरा नम्बर 4261/4349 रकबा 1.59 है. किस्म बा.3 खातेदार बहादुर सिंह पुत्र फूलसिंह जाति राजपूत सा. देह रहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है,तथा मुताबिक नकल मिलान क्षैत्रफल के हाल खसरा नम्बर 4260 एवं 4261/4349 गत खसरा नम्बर 2624 से बने है, एवं मुताबिक नक्शा भू–प्रबन्ध संम्वत 1999 सन 1942–43 के गत खसरा नम्बर 2624 में कोई डोटेडलाइन नहीं बनी हुई है एवं संलग्न नक्शा शीट भू–प्रबन्ध सन 1980 जारी दिनांक 02.07.2005 के हाल खसरा नम्बर 4260 एवं 4261 के मध्य में उतर दक्षिण लम्बाई में डोटेड लाईन से रास्तानुमा आकृति बनी हुई है एवं संलग्न ऑन लाईन नकल नक्शा जारी दिनांक 24.08.2022 के हाल खसरा नम्बर 4260 एवं 4261/4349 के बीच में रास्ता बना हुआ है जो मुताबिक नक्शा के कई खसरा नम्बरों के सहारे–सहारे काफी लम्बाई तक बना हुआ है एवं प्रार्थी द्वारा हाल खसरा नम्बर 4260 एवं 4261/4349 के मध्य की सीमा पर बने पुख्ता कटानी रास्ते की सीमा को गत नक्शा खसरा नम्बर 2624 के अनुसार दुरूस्त कराना चाहा गया है । अन्त में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 4260 एवं 4261/4349 के मध्य सैटलमेंट विभाग द्वारा पुख्ता कटानी रास्ता कायम कर खसरा नम्बर 4287 रकबा 0.09 है. बनाया गया है। यदि खसरा नम्बर 4260 एवं 4261/4349 के मध्य खसरा नम्बर 4287 किस्म गैमु. रास्ता की सीमा को संशोधन किया जाता है तो खसरा नम्बर 4287 किस्म गैम. रास्ता का रकबा कम हो जायेगा। तथा खसरा नम्बर 4260 एवं 4261/4349 के बीच बना रास्ता भी विलापित हो जायेगा, एवं गैमु. रास्ते का कम हुआ रकबा खातेदार के खसरा नम्बर 4260 एवं 4349 में शामिल हो जायेगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उभय पक्षो की बहस पर मनन किया गया जिसमें हमनें पाया कि हाल खसरा नम्बर 4260 एवं 4261/4349 वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है तथा साबिक खसरा नम्बर 2624 से बनना पाया जाता है तथा साबिक खसरा नम्बर 2624 में कोई रास्तानुमा डोटलाईन अंकित नहीं थी जिसे अप्रार्थी ने अपने कथनों में स्वीकार भी किया है तथा खसरा नम्बर 4287/0.09 है. को अप्रार्थी ने कटानी रास्ता कायम मानकर विरोध किया कि खसरा नम्बर 4287 गैमु. रास्ता सीमा को संशोधन किया जाता है तो खसरा नम्बर 4287 किस्म गैमु. रास्ता का रकबा कम हो जायेगा तथा खसरा नम्बर 4260 एवं 4261/4349 के बीच बना रास्ता विलापित हो जायेगा एवं गैमु. रास्ते का कम हुआ रकबा प्रार्थी की खातेदारी में शामिल हो जायेगा जिस पर पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं प्रार्थी के कथनों का अवलोकन किया जिसमें हमने पाया की खसरा नम्बर 4287/0.09 है. किस्म बा. 3 खातेदारान के नाम खातेदारी में दर्ज भूमी है,जो गैमु. रास्ते की भूमी कतई नहीं है जबकि साबिक नक्शा संवत 2036–37 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 4287 हाल खसरा नम्बर 4286 की पूर्वी सीमा पर अवस्थित था तथा हाल खसरा नम्बर 4286 की उतरी पूर्वी कोण पर खसरा नम्बर 4287 का क्षेत्रफल पूरा होता है जिसके आगे उतरी दिशा की ओर खसरा विभक्त सीमा के साथ एक डॉट डॉट लाईन अंकित की गई है जो साबिक नक्शा के विपरीत की गई है, तथा प्रार्थी के खसरा नम्बर 4260 व 4261/4349 तक हाल नक्शा तरमीम में खसरा नम्बर 4287 गलत अंकित किया गया है तथा प्रार्थी के कथनों व दस्तावेजात से प्रतीत होता है कि प्रार्थी साबिक नक्शा अनुसार हाल नक्शे में तरमीम करवाना चाहता है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमी में खसरा विभक्त एक लाईन के अलावा जो डॉट लाईन को पुख्ता किया गया है उसको

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

रुस्त करवाकर केवल एक खसरा विभक्त लाईन अंकित करवाना चाहता है जिससे हाल सरा नम्बर 4287 का रकबा कम नहीं होता है तथा ना ही प्रार्थी का रकबा बढता है जिससे प्रार्थी के कथनों से सहमत है जबकि अप्रार्थी के कथनों से असहमत है क्योंकि अप्रार्थी नें सरा नम्बर 4287 को गैम. रास्ता होना व प्रार्थी के खसरा नम्बर 4260 व 4261/4349 की तरी सीमा तक व उससे आगे तक गैमु. रास्ता होना गलत अंकित किया है जो राजस्व कार्ड व नक्शा हाल व साबिक से स्पष्ट होता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत र्थना पत्र स्वीकारी किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व कथनों से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार क्या जाकर अप्रार्थी/ तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की ातेदारी भूमी हॉल खसरा नम्बर 4260 व 4261/4349 वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी हसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. के मध्य एवं खसरा नम्बर 4260 की पश्चिमी सीमा व सरा नम्बर 4261/4349 की पूर्वी सीमा पर डबल तरमीम दुरूस्त की जाकर खसरा नम्बर 260 व 4261/4349 को रकबा अनुसार विभक्त करते हुए एक तरमीम उतर–दक्षिण लम्बाई की जाकर खसरा नम्बर 4287 हाल खसरा नम्बर 4286 की पूर्वी सीमा पर खसरा नम्बर 286 की उतरी पूर्वी कोण तक तरमीम कायम की जावे जावे तथा प्रार्थी के खसरा नम्बर 260, 4261/4349 के मध्य से साबिक रिकार्ड के मुताबिक खसरा नम्बर 4287 विलोपित क्या जावे। तदानुसार हाल नक्शा में तरमीम करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से म हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर